राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –5445/2018
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –5444/2018
एवं
एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या –21/2019
एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या –35/2019
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –5387/2018

आदेश दिनांकः– **04.02.2019**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी एन.एच.ए. :– श्री राजन प्रजापत एवं श्री ए.के.पारीक
(श्री हरीशचन्द शर्मा, अधिवक्ता की ओर से)
अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण :– श्री जी.के.गर्ग, व.अधिवक्ता मय
श्री धीरज सिंघल

एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या –21/2019
एकलपीठ सिविल विविध प्रार्थना पत्र संख्या –35/2019
अन्तर्गत
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या –5387/2018

अपीलार्थी प्रोजेक्ट डाईरेक्टर, नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 21/2019 व प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 35/2019 पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया ।

प्रार्थना पत्र संख्या 21/2019 इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक 14.12.2018 द्वारा अपीलार्थी को सड़क का कार्य इस शर्त के साथ पुनः आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी कि अपीलार्थी जिला कलेक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 09.04.2018 के अनुसार निर्धारित मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी के यहां आदेश की तिथि से 15 दिवस में जमा करायेगा परन्तु आदेश दिनांक 14.12.2018 की पालना प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति के अभाव में व तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से निश्चित् समयावधि 15 दिवस में नहीं की जा सकी व उक्त आदेश की पालना में सम्पूर्ण

मुआवजा राशि दिनांक 02.01.2019 को जमा करायी जा चुकी है । जो विलम्ब आदेश दिनांक 14.12.2018 की पालना में हुआ है वह जानबूझकर नहीं किया गया है । अतः आदेश दिनांक 14.12.2012 में दी गई 15 दिन की समयावधि को विस्तारित किया जावे। प्रार्थना पत्र में यह भी वर्णित किया गया है कि आदेश दिनांक 14.12.2018 की पालना में जमा करायी गई मुआवजा राशि प्रत्यर्थीगण को उनके द्वारा इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वितरित की जा सकती है । चूंकि अपीलार्थी द्वारा मुआवजा राशि जमा करायी जा चुकी है इसलिए निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया जावे कि वे निष्पादन कार्यवाही जारी नहीं रखें व साथ ही प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जावे कि वे अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द करे ताकि सड़क का निर्माण पुनः आरंभ किया जा सके ।

इस प्रार्थना पत्र का लिखित उत्तर प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी ओर प्रार्थना पत्र संख्या –35/2019 अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 14.12.2018 की पालना में अपीलार्थी द्वारा जमा करायी गई मुआवजा राशि 78,45,335/– रूपए प्रत्यर्थीगण को वितरित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

दिनांक 14.12.2018 को संबंधित अपील संख्या 5387/2018 में निम्न आदेश पारित किया गया था :–

> ''उपरोक्तानुसार इस आदेश से आगामी 15 दिवस की अवधि में जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा निर्णय दिनांक 09.04.2018 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारी (एसडीएम, रूपवास जिला भरतपुर) के यहां जमा कराने के पश्चात् अपीलार्थी/प्रतिवादी (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) सड़क निर्माण का कार्य कराने को स्वतंत्र है ।
>
> जहां तक मुआवजा राशि के भुगतान का प्रश्न है, इस क्रम में प्रत्यर्थी/वादी इस न्यायालय के समक्ष आवश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

करने को स्वतंत्र है । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दोनों पक्षों को सुनकर राशि भुगतान के बाबत विधि अनुसार आदेश पारित किया जायेगा । ''

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से प्रार्थना पत्र संख्या–21/2019 व प्रार्थना पत्र संख्या –35/2019 निम्न प्रकार निस्तारित किए जाते हैं :–

(1) आदेश दिनांक 14.12.2018 की पालना में मुआवजा राशि जमा कराये जाने हेतु अपीलार्थी को 15 दिन का समय दिया गया था परन्तु मुआवजा राशि 15 दिन में जमा नहीं करायी जाकर 4 दिन के विलम्ब से दिनांक 02.01.2019 को जमा करायी गई है । मुआवजा राशि जमा कराने में हुए 4 दिन के विलम्ब को Condone किया जाता है, दूसरे शब्दों में आदेश दिनांक 14.12.2018 में दी गई अवधि दिनांक 02.01.2019 तक विस्तारित की जाती है।

(2) प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि की Solvent Security व स्वयं की इस आशय की सशपथ Undertaking प्रस्तुत करने पर कि यदि जिला कलेक्टर, भरतपुर का निर्णय दिनांक 09.04.2018 अपास्त हो जाता है तो वे उपखण्ड अधिकारी, रूपबास द्वारा पारित पंचाट दिनांक 03.02.2017 के द्वारा जो मुआवजा राशि अवार्ड की गई थी, के अलावा मुआवजा राशि में जो वृद्धि जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2018 द्वारा की गई है वह वृद्धि की गई मुआवजा राशि व उस पर प्राप्ति की तिथि से अदायगी तिथि तक 6% वार्षिक दर से ब्याज सहित अपीलार्थी को लौटा देंगे, तो अपीलार्थी द्वारा मुआवजे की कुल जमा कराई गई राशि 78,45,335/–रूपए में से 31,31,267/– रूपए प्रत्यर्थी शिवम् गर्ग पुत्र मुरारीलाल गर्ग के बैंक खाता संख्या – 2356000100491393 , 31,31,268/– रूपए प्रत्यर्थी यश गर्ग पुत्र मुरारीलाल गर्ग के बैंक खाता संख्या – 2356000100491357 व 15,82,799/– रूपए प्रत्यर्थी मुरारीलाल गर्ग के बैंक खाता संख्या – 2356000100002959,

पंजाब नेशनल बैंक, खानुवां, रूपबास, IFSC कोड–PUNB0235600 में RTGS से ट्रांसफर कराये जाने के अपीलार्थी को आदेश दिये जाते हैं ।

3. प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार राशि उनके खाते में अन्तरित होते ही गजट नोटिफिकेशन दिनांक 08.05.2015 के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या 24 व 68 में वर्णित अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 1290 क्षेत्रफल क्रमशः 499.264 वर्गफीट व 1805.420 वर्गफीट का कब्जा तत्काल अपीलार्थी को सुपुर्द करेंगे और उसके पश्चात् अपीलार्थी को वर्तमान में जो सड़क अवस्थित है उसके अतिरिक्त अवाप्तशुदा भूमि में सड़क का निर्माण कार्य कराने में किसी प्रकार की कोई बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

सभी अपीलें दिनांक 15.03.2019 को सूचीबद्ध की जावें।

(न्या0 प्रकाश गुप्ता)

ऋषिकेश सोनी/79 से 82